2018/00078

राजस्थान सरकार

प्रपत्र – II

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, फतेहपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोटी) कैम्प भींचरी

–::आदेश::–

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना–पत्र एवं पटवारी भींचरी व भू.अ.नि. बेसवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार फतेहपुर /नायब तहसीलदार फतेहपुर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आलमास तहसील फतेहपुर व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 154 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ठि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ठि (अशुद्ध प्रविष्ठि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्ठि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	आलमास	154	इसदाक मोहम्मद पुत्र मुराद खाँ	इसाक मोहम्मद पुत्र मुराद खां

(रेनू मीणा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
फतेहपुर

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

क्रमांक : 2808 /राजस्व/2018 दिनांक : 25-05-2018

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, फतेहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री इसाक मोहम्मद पुत्र मुराद खां नि. आलमास को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
फतेहपुर

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

25/5/18